5 रु. Rs.5 Rs.5 Rs.5 Rs.5 Rs.5 COURT FEE INDIA FIVE RUPEES भारत पाँच रुपये

विलोपित विलोपित विलोपित

B1.

न्यायालय श्रीमान म0प्र0 राजस्व मण्डल ~~केन्द्र~~ ग्वालियर

नि/3378/III/15

प्र0क0 /2015 निगरानी

श्री सरवन सिंह धाकड़ एड. द्वारा आज दि. 19-10-15 को प्रस्तुत

19-10-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

ग्राम पंचायत मो0बड़ोदिया द्वारा सरपंच जगदीश पिता मांगीलाल आयु 51 वर्ष व्यवसाय कृषि सरपंच ग्राम पंचायत मो0बड़ोदिया जिला शाजापुर निवासी शाजापुर

——— आवेदक

बनाम

म0प्र0शासन

——— अनावेदक

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0
निगरानी बनारजी आदेश श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर प्र0क0 1–अ/66/2015–16
आदेश दिनांक 03–10–2015

19.10.15
(U.S. Dhakad Adv.)

माननीय महोदय

निगरानी प्रार्थी की ओर से निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

1– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत मो0बड़ोदिया द्वारा दिनांक 14–04–2015 की ग्राम सभा की बैठक में ग्राम मो0बड़ोदिया में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1230/2, 1230/3, 1259/1, 1261/1, 1262 की भूमि को आबादी की भूमि घोषित करवाई जाने बाबत प्रस्ताव ठहराव दिनांक 14–04–2015 को पारित किया गया ठहराव एवं आवेदन पत्र श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय शाजापुर को प्रस्तुत किया गया । श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय शाजापुर द्वारा आवेदन पत्र की विधिवत जांच करवाई जाकर उचित माध्यम से प्रतिवेदन सहित प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी महोदय शाजापुर की माध्यम से भेजा गया । जिस पर से न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला शाजापुर द्वारा प्र0क0 11/अ–59/2014–15 आदेश दिनांक 18–06–2015 से ग्राम मो0बड़ोदिया में उपरोक्त भूमि, भूमि सर्वे क्रमांक 1230/2, 1230/3, 1259/1, 1261/1, 1262 को मकान/दुकान आदि के लिए भूखंड के रूप में आरक्षित की जाकर मकान/दुकान हेतु ले–आउट (अभिन्यास) स्वीकृत करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर को निर्देश दिया गया ।

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय शाजापुर ने प्र0क0 2/अ–66/2014–15 द्वारा दिनांक 07–07–2015 को समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ले–आउट (अभिन्यास) को स्वीकृत किया गया एवं नक्शा स्वीकृत किया । उक्त ले–आउट की स्वीकृति हेतु

–2–

सरपंच
ग्राम पंचायत

R3378-III/15

09-11-15

आवेदक अधि. श्री रमेश पाठक द्वारा निवेदन किया कि इस प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं।

आवेदक अधि. के निवेदन पर प्रकरण Not Press में खारिज कर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य